कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

सँख्याः बीएलएस-ईए-6(189)/2013-I- 29627-647 दिनांक 07-जुलाई-2023

रोजगार विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर की स्थापना के अन्तर्गत नव सृजित पटवार वृतों में अँशकालीन कार्यकर्ता, चतुर्थ श्रेणी (Part Time Workers) के पदों को भरा जाना हैः-

क्र.	उप मण्डल का नाम	सम्बन्धित तहसील / उप तहसील का नाम	नव सृजित पटवार वृत का नाम	कुल स्वीकृत पद
1.	उप मण्डल झण्डूता	तहसील झण्डूता	पटवार वृत बडोल	01 (एक)
			पटवार वृत रोहल	01 (एक)
2.	उप मण्डल सदर	तहसील सदर	पटवार वृत खारसी	01 (एक)
3.	उप मण्डल श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट	तहसील श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट	पटवार वृत टोबा सँगवान (कौलाँ बाला टोबा)	01 (एक)
प्रार्थी अपने आवेदन पत्र दिनाँक 25.07.2023 साँय 05-00 बजे तक सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।				

वाँछित योग्यता एवँ अनिवार्य शर्तेः-

1. प्रार्थी / अभ्यार्थी **सम्बन्धित पटवार वृत** के अधीन के समस्त मुहाल / ग्राम पँचायत / नगर पँचायत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है ।
2. प्रार्थी द्वारा हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी स्कूल शिक्षा बोर्ड / सँस्था से दसवीं (Metric) की परीक्षा उर्तीण की हो।
3. प्रार्थी दिनांक 01.01.2023 को 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को उपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट)।
4. आवेदक को अपने मूल दस्तावेजों की जाँच / सत्यापन हेतु सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय में **दिनांक 04.08.2023 को प्रातः 10-00 बजे**

Deputy Commissioner
District Bilaspur, H.P.

<u>उपस्थित होना होगा</u> । इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी तथा जो प्रार्थी / आवेदक उपरोक्त तिथि को दस्तावेजों के सत्यापन / जाँच हेतु उपस्थित नहीं होगे, उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएँगे ।

5. **चयन का मापदण्डः-** प्रार्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच / छानबीन उपरान्त योग्य उम्मीदवार का चयन निम्न मापदण्डों के आधार पर किया जाएगाः-

(i)	शैक्षणिक योग्यता	दसवीं की परीक्षा में प्राप्त अँकों की गणना 85 से की जाएगी । अर्थातः- दसवीं की परीक्षा में 60% अँक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 51 अँक दिए जाएँगे (420/700x85/100=51)	85 अँक
(ii)	पिछडा क्षेत्र प्रमाण पत्र	प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पिछडा क्षेत्र या ग्राम पँचायत प्रमाण पत्र, यदि कोई हो <u>(SDM / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र)</u>	01 अँक
(iii)	भूमिहीन प्रमाण पत्र	भूमिहीन प्रमाण पत्र / परिवार जिसके पास 01 हैक्टेयर से कम भूमि है का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो <u>(SDM / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र)</u>	02 अँक
(iv)	बेरोजगार प्रमाण पत्र	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किया गया बेरोजगार प्रमाण पत्र, जिसके अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्ध सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो <u>(SDM / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र)</u>	2.5 अँक
(v)	दिव्याँगता प्रमाण पत्र	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी 40% यो इससे अधिक हानि / दिव्याँगता / दुर्बलता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो <u>(चिकित्सा बोर्ड / स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण प्राधिकरण द्वारा जारी)</u>	01 अँक
(vi)	खेल-कूद प्रतियोगिता प्रमाण पत्र	एन.एस.एस. में कम से कम एक वर्ष, एन.सी.सी. / भारत स्काऊट एण्ड गाइड व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में मेडल विजेता, यदि कोई हो <u>(सम्बन्धित सँस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र)</u>	01 अँक
(vii)	बी.पी.एल. प्रमाण पत्र	गरीबी रेखा से नीचे बी.पी.एल. परिवार जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 40,000/- (चालीस हजार) रूपये से कम हो या समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार हो <u>(परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रमाणिकृत प्रविष्टियों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)</u>	2.5 अँक

Deputy Commissioner
District Bilaspur, H.P.

(viii)	एकल महिला प्रमाण पत्र	विध्वा / तलाक शुद्धा / निराश्रित / एकल महिला प्रमाण पत्र, जो कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रमाणिकृत प्रविष्टियों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	1.5 अँक
(ix)	एकल पुत्री / अनाथ प्रमाण पत्र	एकल पुत्री / अनाथ प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रमाणिकृत प्रविष्टियों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	01 अँक
(x)	सरकारी / अर्ध सरकारी सँगठन में कार्य का प्रमाण पत्र	सरकारी अथवा अर्ध सरकारी सँगठन में आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र (प्रत्येक वर्ष पूर्ण करने पर 0.5 अँक) (सम्बन्धित सँस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	2.5 अँक

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पत्र सँख्याः रैव-ए(बी)15-23/2014 दिनांक 20.07.2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार, जिन व्यक्तियों नें सम्बन्धित पटवार वृत के सृजन से पूर्व, पटवारखाना खोलने हेतु अपनी जमीन दी है, उन्हें अँशकालिक कार्यकर्ता (Part Time Worker) की नियुक्ति में प्राथमिकता (Preference) दी जाएगी ।

6. **मानदेयः-** चयनित उम्मीदवार को 5,500/- रूपये प्रतिमाह या सरकार द्वारा समय समय पर सँशोधित मानदेय दिया जाएगा ।

7. आवेदक अपना आवेदन पत्र सँलग्न किए गए प्रपत्र अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की स्वयँ प्रमाणित छायाप्रति सहित सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर सकता है । इसके अतिरिक्त प्रार्थी अपने आवेदन पत्र 25.07.2023 तक साँय 05-00 बजे तक सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं । दिनांक 25.07.2023 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे तथा उन्हें स्वतः रद्द समझा जाएगा ।

(आबिद हुसैन सादिक) भा.प्र.से.,
उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हि.प्र.।
दूरभाष नम्बर-01978-224688.

Deputy Commissioner
District Bilaspur, H.P.

पृ.सँख्याः बीएलएस-ईए-6(189)/2013-I-29627-29647 दिनाँक 07-जुलाई-2023.

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान सचिव-एवं-वित्तायुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके कार्यालय की अधिसूचना सँख्याः रैव-घ(एफ)4-4/2017 दिनांक 14.06.2021 व पत्र सँख्याः रैव-ए(बी)1-6/2023 दिनांक 28.04.2023 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. मण्डलायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी, हि.प्र. को सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, भू-अभिलेख, हिमाचल प्रदेश शिमला को सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।
4. उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) सदर / झण्डूता / श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर को प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की परिणाम शीट (RESULT SHEET) एवं योग्यता क्रम सूची (MERIT LIST) तैयार करके **दिनाँक 15.08.2023** तक आवश्यक तौर पर कमेटी (उप मण्डल अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार) की सत्यापित रिपोर्ट सहित उपायुक्त महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
5. जिला सूचना अधिकारी (NIC) बिलासपुर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रोजगार सूचना निर्धारित प्रपत्र सहित उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर की सरकारी वैबसाईट **http://hpbilaspur.nic.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
6. तहसीलदार, सदर / झण्डूता / श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर को प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने कार्यालय के सेवादार अथवा तामील कुन्निदा के माध्यम से उपरोक्त नवसृजित पटवार वृत एवं सम्बन्धित पँचायत में प्रैस विज्पति एवं आवेदन प्रपत्र की चस्पानगी सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त उपरोक्त पद को भरने बारे व्यापक प्रचार करवाना सुनिश्चत करे ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, सदर / झण्डूता / श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वह उपरोक्त पदों को भरने हेतु क्षेत्रीय एजेंसियों के माध्यम से व्यापक प्रचार करवाना सुनिश्चित करें ।
8. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि.प्र. को प्रेषित करते हुए निवेदन है कि सँलग्न रोजगार सूचना का विज्ञापन **दिनाँक 12-जुलाई-2023** को 02 समाचार पत्रों में करने उपरान्त विज्ञापन के बिल इस कार्यालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें ।
9. पटवारी, पटवार वृत, खारसी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर को व्यापक प्रचार हेतु ।
10. पटवारी, पटवार वृत, बडोल/रोहल, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर को व्यापक प्रचार हेतु।
11. पटवारी, पटवार वृत, टोबा सँगवान (कौलाँ बाला टोबा) तहसील श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर को व्यापक प्रचार हेतु ।
12. गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर।

(आबिद हुसैन सादिक) भा.प्र.से.,
उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हि.प्र.।
दूरभाष नम्बर-01978-224688.

Deputy Commissioner
District Bilaspur, H.P.

आवेदन प्रपत्र

पटवार वृत .... में सृजित अँशकालिक कार्यकर्ता (Part Time Worker) के पद हेतु आवेदन ।

Duly attested passport size photo be affixed

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. स्थाई पता ....
   ....
4. जन्म तिथि ....
5. सम्बन्धित उप मण्डल का नाम ....
6. दूरभाष नम्बर ....
7. शैक्षणिक योग्यता (दसवीं)
   (प्रमाण पत्र सँलग्न करें)

कक्षा	बोर्ड का नाम	प्राप्त अँक	कुल अँक	प्रतिशतता
10^{th}				

8. सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग / पँचायत,
   प्रमाण पत्र सँलग्न करें
   (SDM / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी) ....
9. भूमिहीन परिवार अथवा एक हैक्टेयर
   से कम भूमि वाले परिवार का प्रमाण पत्र सँलग्न करें
   (SDM / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी) ....
10. बेरोजगार प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र सँलग्न करें)
    (SDM / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी) ....
11. दिव्याँग (40 प्रतिशत से अधिक) प्रमाण पत्र सँलग्न करें
    (चिकित्सा बोर्ड / स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण प्राधिकरण द्वारा जारी) ....

Deputy Commissioner
District Bilaspur, H.P.

12. एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) / एन.सी.सी. / भारत स्काऊट एँड गाईड मैडल विजेता (राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता) (प्रमाण पत्र सँलग्न करें) (सम्बन्धित सँस्थान के प्रमुख द्वारा जारी) ....

13. बी.पी.एल. परिवार (जिनकी समस्त साधनों से वार्षिक आय 40000/- से कम अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय अनुसार हो (नवीनतम प्रमाण पत्र सँलग्न करें) (परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रमाणिकृत प्रविष्टियों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी) ....

14. विध्वा / तलाकशुदा / निराश्रित / एकल नारी (प्रमाण पत्र सँलग्न करें) (परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रमाणिकृत प्रविष्टियों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी) ....

15. एकल बेटी / अनाथ (प्रमाण पत्र सँलग्न करें) (परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रमाणिकृत प्रविष्टियों के आधार पर खण्ड विकासअधिकारी द्वारा जारी) ....

16. सरकारी / गैर सरकारी सँस्थान में आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव (प्रमाण पत्र सँलग्न करें) (सम्बन्धित सँस्थान के प्रमुख द्वारा जारी) ....

17. हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पत्र सँख्याः रैव-ए(बी)15-23/2014 दिनांक 20.07.2016 में जारी दिशा-निर्देशानुसार जिन व्यक्तियों नें सम्बन्धित पटवार वृत के सृजन से पूर्व, पटवारखाना खोलने हेतु अपनी जमीन दी है, उन्हें अँशकालिक कार्यकर्ता (Part Time Worker) के पद पर नियुक्ति में प्राथमिकता (Preference) दी जाएगी (इन्तकाल फैसले की सत्यापित प्रति सँलग्न करें) ....

घोषणाः-

मैं .... यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी सही है तथा कोई भी जानकारी गोपनीय नहीं है ।

स्थान -

दिनाँक-

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

Deputy Commissioner
District Bilaspur, H.P.

रोजगार सूचना

कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

http://hpbilaspur.nic.in

सँख्याः बीएलएस-ईए-6(189)/2013-I- 29627-647 दिनांक 07 -जुलाई-2023

उपायुक्त बिलासपुर जिला बिलासपुर की स्थापना के अन्तर्गत 04 नए पटवार वृत सृजित हुए हैं जिनमें अँशकालिक कार्यकर्ता (Part Time Worker) के एक - एक पद को भरने हेतु सम्बन्धित पटवार वृतों के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं । पात्रता के मानक निम्न से हैः-

(अँशकालिक कार्यकर्ता) Part Time Worker (Class-IV.		
उप मण्डल झण्डूता	पटवार वृत बडोल - 01 पद	पटवार वृत रोहल - 01 पद
उप मण्डल सदर	पटवार वृत खारसी - 01 पद	
उप मण्डल श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट	पटवार वृत टोबा सँगवान (कौलाँ बाला टोबा) - 01 पद	
वेतनमान 5,500/- रूपये (मासिक आधार पर)		
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी स्कूल शिक्षा बोर्ड / सँस्था से दसवीं की परीक्षा पास की हो ।	
भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा	18 से 45 वर्ष के मध्य । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व अन्य श्रेणियों के प्रत्याशियों की आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी ।	
नियुक्ति का स्थान	सम्बन्धित पटवार वृत (उपरोक्त वर्णित)	

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रासाँगिक समर्थित दस्तवेजों सहित दिनाँक 25.07.2023 तक या उससे पहले सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय (सदर / झण्डूता / श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट) में पहुँच जाने चाहिए । अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले तथा अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस सन्दर्भ में किया गया कोई भी पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा । योग्यता क्रम सूची (Merit List) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सँख्याः Per(AP.B)B(15)-5/2014 दिनांक 17-अप्रैल-2017 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तैयार की जाएगी । इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के पत्र सँख्याः रैव-ए(बी)15-23/2014 दिनांक 20.07.2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार, जिन व्यक्तियों नें सम्बन्धित पटवार वृत के सृजन से पूर्व, पटवारखाना खोलने हेतु अपनी जमीन दी है, उन्हें अँशकालिक कार्यकर्ता (Part Time Worker) की नियुक्ति में प्राथमिकता (Preference) दी जाएगी । इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन पत्र जिला बिलासपुर की सरकारी वैबसाईट http://hpbilaspur.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं ।

(आबिद हुसैन सादिक) भा.प्र.से.,
उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हि.प्र.।
दूरभाष नम्बर 01978-224688